संख्या-20/2015/676/49-3-2015-100(18)/2015

प्रेषक,

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्याधिकरण उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 06 मई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 17/सह0न्या0, दिनांक 16-4-2015 के संदर्भ में तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30मार्च, 2015, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) के लेखा शीर्षक '2425-सहकारिता-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-उ0प्र0सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि कुल रू0 11990 हजार की श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30मार्च, 2015, में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तथा निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आबंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियॉ यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृति धनराशि के एक मुश्त आहरण की यथासम्भव अनुमति न दी जाये।

(4) शासनादेश कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30मार्च, 2015 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ /सहायक लेखाधिकारी,(जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त-नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) आबंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी शासन को समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की प्रक्रिया एकमुश्त प्राविधान के मामलों में अपनायी जाये।

(8) मित्तव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के लेखा शीर्षक '2425-सहकारिता-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-उ0प्र0सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30मार्च, 2015 में प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 20/2015/676(1)/49-3-2015,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0शासन।
10- सहकारिता अनुभाग-1
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in